IN THE COURT OF SRI BIPIN KUMAR, Addl. Session Judge-IV, PATNA (BIHAR)
B.P. No. 2317/2025
[Arising out of Patliputra P.S Case no 14/2025]

1. Ravi Kumar, **Aged 35 years,** S/o Ramnath **Prasad**, R/o- **East Nand-Gola, Madho Mill, Krishna Alankar Jewelers, P.S- Malsalami, Patna City, Dist- Patna.**

……………… **Petitioner**

Vs.

State of Bihar

…………….. **Opposite Party**

Appearance:
For the Petitioner: Mr. Ranjan Kumar Sharma, Ld. Advocate
For the Opposite Party: Mr. Dilip Kumar Ray, Ld. Spl. PP

Sl. No.	Date of Order of Proceeding	Order with the signature of the court	Office action taken with date
	15.10.2025	**1.** प्रस्तुत वाद आवेदक रवि कुमार, पिता रामनाथ प्रसाद द्वारा पाटलीपुत्रा कांड संख्या 14/2025 अंतर्गत धारा– **331(4), 305** (a) B.N.S.के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है । प्रस्तुत वाद में आवेदक को दिनांक 06.03.2025 को रिमाण्ड किया गया है । जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजक को दी गई है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा लोक अभियोजक को जमानत के बिंदु पर सुना गया । **2.** सूचक गौतम कुमार का केस प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 26.12.2024 को अपने परिवार के साथ श्री श्याम इंकलेव अर्पाटमेंट फ्लैट नं0 303 को बंद कर के अपने घर चले गये । दिनांक 10. 01.2025 को समय करीब 09.30 बजे अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मोबाईल पर सूचना दी गई कि आपके फ्लैट के दरवाजे का कुण्डी तोड़कर किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई । जब सूचक उक्त स्थान पर पहुंचा तो देखा कि उसके फ्लैट के दरवाजे का कुंडी तोड़कर अलमीरा से ज्वेलरी और 75,000 नगद एवं अन्य सामानों, जिसमें डायमंड चुड़ी, गोल्ड चुरा, मंगलसूत्र गोल्ड, डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग, गोल्ड हार, डायमंड हार, गोल्ड ईयररिंग एवं शंखा पोला की चोरी कर ली गई है । **3.** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपने जमानत आवेदन को प्रचालित कर निवेदन किये कि आवेदक द्वारा अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में नहीं दाखिल किया गया है । आवेदक इस वाद के अतिरिक्त नौ अन्य वाद में अभियुक्त है । प्रस्तुत वाद में आवेदक दिनांक 06.03.2025 को रिमाण्ड किया गया है । आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है । आवेदक को इस मामले में झूठा और गलत तरीके से फंसाया गया है । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है । आवेदक का नाम सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है । आवेदक के पास से कोई भी आपतिजनक वस्तु बरामद नहीं	

	<u>लगातार</u> 15.10.2025	किया गया है । आवेदक के भागने तथा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है । आवेदक न्यायालय की शर्तो तथा इच्छानुसार जमानतदार प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। **4.** लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। **5.** उभयपक्षों के विद्वान अधिवकतागण को सुना तथा अभिलेख, विचारण न्यायालय का अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया है । सह अभियुक्तों को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है । आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है । आवेदक दिनांक 06.03.2025 से कारागत है । अतः उपरोक्त विवेचना एवं आरोप की प्रकृति एवं आवेदक की कारा अवधि पर विचार कर आवेदक अभियुक्त को एक लाख **(1,00,000/-)** के दो सामान प्रतिभू के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर आवेदक को पाटलीपुत्रा कांड संख्या 14/2025 में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक का एक जमानतदार उसके नजदीकी रिस्तेदार होगें तथा आवेदक आरोप गठन पर अंतिम आदेश तक प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा ।** **लेखापित एवं शुद्धित** **पीठासीन पदाधिकारी**	